फर्द अहकाम

मोहन वगै. बनाम भूरिया व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 146/2016 प्रा. पत्र बाबत पत्थरगढ़ी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	4/3/20	प.का. उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण की तामील के बावजूद भी अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आरम्भ की जाती है। पक्षकारान को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ओबरा(?) में स्थित भूमि खाता संख्या 117 के भीतर ख.नं. 299 रकबा 2.17 है ख.नं. 300 रकबा 0.12 है कुल किता - 2 का कुल रकबा 2.29 है की भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण व गैरसायली पक्षकार संख्या 31 लगायत 39 व 41 के नाम से है व ख.नं. 298 रकबा 1.34 है की खातेदारी गैरसायली पक्षकार संख्या 31 लगायत 40 के नाम से शामिल मिल्कियत में दर्ज है प्रार्थीगण की खातेदारी काश्त की भूमि ख.नं. 298 के पश्चिम के लोगों द्वारा [illegible]	

फर्द अहकाम

मो0 वगैरह बनाम नूरिया वगैरह

...म न्यायालय

...स संख्या 14/6/2016 प्रा.पत्र बाबत पत्थरगढ़ी

...म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		का विख्यात है जिसके सीमांकन काश्तकार प्रार्थीगण स्वयं 1 म.गा. 4 है तथा ख.न. 298, 299, 300 के इन्द्राज प्रपत्र हिस्सा में खातेदारी की कृषि अप्रार्थीगण स्वयं 4 म.गा. 29 की है तथा उत्तर दिशा में प्रार्थीगण के नजदीकी पटवार स्वयं 3 म.मा. 4 की है मेरे स्वयं में दोनों प्रार्थीगण की कृषि का सीमांकन तहसीलदार चौहटन के आदेश क्रमांक LR/ 16/687 दिनांक 9/5/2016 की अनुपालना में पटवारी हल्का मय गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 14/5/2016 को ग्राम बनेरवा के खसरा ख.न. 298, 299 300 के मौके पर प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारों के साथ सीमाज्ञान की कार्यवाही करके पहुंचा मौके पर प्रार्थीगण एवं पड़ोसी काश्तकारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम ग्राम बनेरवा के ख.न. 276 की ... को पुख्ता मानकर ख.न. 300 का [illegible]	

फर्द अहकाम

मोहम्मद वसीम बनाम खलिफ व अन्य

नाम न्यायालय श्री बाबा पत्थरगढी

केस संख्या 146/2016 प्रा.पत्र

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		उसके कायम किए कायम किया। उत्तरी पश्चिमी से स्था.नं. 298 उसकी कोना ग्राम उमरियापावास के नाका तक फरीब चलाकर कोना कायम किया गया। उसके बाद ग्राम उमरियापावास [illegible] की पोथ चलाकर के स्था.नं. 221 से की गई तो सही पाया गया। स्था.नं. उत्तर पू. चांद से ग्राम मोहम्मदपुर व बलेसर का टुकड़ा नं. 134 की जांच की गई जो मौका व नक्शा सही पाया गया। उसके टुकड़ा नं. 134 से चलाकर टुकड़ा संख्या 135 की फरीब चलाकर जांच की गई। स्था.नं. 3 से मिलान किया गया। जो मौका व नक्शा सही पाया गया। उक्त टुकड़ा नं. 135 से उमरियापावास व मोहम्मदपुर व बलेसर तिराहे की जांच फरीब चलाकर की गई। स्था.नं. 189 ग्राम उमरियापावास के बीच पू. चांद 189 से ग्राम बलेसर के नाका तक फरीब चलाकर सीमा कायम की। जिसकी जांच ग्राम मोहम्मदपुर के टुकड़ा नं. 134 से की गई। जो मौका व नक्शा सही पाया गया। इस प्रकार	

फर्द अहकाम

मोहम्मद बी. बनाम श्रीरूपा वगैरह

...म न्यायालय

...स संख्या 146/2016 प्रा.पत्र बाबत पत्थरगढ़ी

...म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		मौजे खसरा नं. 290, 292 300 की भाग अतिक्रमण के सीमांकन की कार्यवाही सम्पन्न की गयी। फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर पढ़कर सुनायी गयी / उपस्थिता के हस्ताक्षर करवाये गये। मिसल सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/ अपनी खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जिस हेतु न्यायालय के समक्ष इस प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र के मद्दे सेवाय / के बीच आराजियात की पत्थरगढ़ी करे आदेश फरमाने की कृपा करें। प्रार्थना-पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली, उपलब्धिका का अवलोकन किया गया। प्रावधान नौवेड आराजी के रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का कानून हक अधिकार प्राप्त है। प्रावधान	

फर्द अहकाम

मोहन पुत्र [illegible] बनाम कृपा पुत्र [illegible]

नाम न्यायालय

केस संख्या 146/2016 प्रा. पत्र बाबत पत्थरगढ़ी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		द्वारा उसकी खातेदारी कृषि का सीमाज्ञान दिनांक 14/5/2016 को ~~[illegible]~~ करवाया जा चुका है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः ~~प्रार्थी~~ का प्रार्थना-पत्र बाबत पत्थरगढ़ी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते हैं कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तथा मौके पर कब्जा न हो तो पुनः सीमाज्ञान हेतु पटवारी हल्का, भू०अ०नि०, मोलियापुर एवं डीको गिरदावर हल्का की टीम गठित कर दोनों पक्षों को नोटिस दे सीमाज्ञान की कार्यवाही कर उक्त चिन्हों पर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक 5/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.06.30 12:32:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: